पत्र संख्या :- 12 /खाद्य/बजट/2003

प्रेषक:-

बिजेन्द्र पाल,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में:-

वित्त नियंत्रक,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग देहरादून : दिनांक: जनवरी 01, 2003

विषय: लेखाशीर्षक 4408 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (वित्तीय वर्ष 2002-2003)

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 316/खाद्य/बजट/2002 दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्न क्रय, हैण्डलिंग/परिवहन/गोदाम किराया/ विद्युत देयक आदि (विविध व्यय) तथा भण्डारण शुल्क के भुगतान हेतु निम्न विवरणानुसार कुल रू0 7,02,00,000/- (रूपये सात करोड़ दो लाख मात्र) की धनराशि को आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्रमांक	मद का नाम	गढ़वाल संभाग हेतु स्वीकृत धनराशि (रूपये में)	कुमायूं संभाग हेतु स्वीकृत धनराशि (रूपये में)	कुल स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खाद्यान्न क्रय	3,00,00,000	3,00,00,000	6,00,00,000
2	हैण्डलिंग/परिवहन/गोदाम किराया /विद्युत देयक/जनरेटर/घाट नाम अखबार प्रकाशन/रिपेयरिंग आदि	–	50,00,000	50,00,000
3	भण्डारण शुल्क	–	52,00,000	52,00,000
	योग	3,00,00,000	4,02,00,000	7,02,00,000

(रूपये सात करोड़ दो लाख मात्र)

1. धनराशि का आहरण तात्कालिक वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाये और शेष धनराशि इसके विपरीत प्रतिपूर्ति के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

2. इस धनराशि से सम्बन्धित लेखे व्यापार लेखा (ट्रेडिंग एकाउण्ट) के रूप में रखे जायेंगे तथा प्रतिमाह ट्रायल बैलेन्स तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त हानि-लाभ लेखा बनाया जायेगा।

2. इस धनराशि से सम्बन्धित लेखे व्यापार लेखा (ट्रेडिंग एकाउण्ट) के रूप में रखे जायेंगे तथा प्रतिमाह ट्रायल बैलेन्स तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त हानि-लाभ लेखा बनाया जायेगा।

3. इस धनराशि के आहरण की अनुमति लेखाशीर्षक-4408 के वर्तमान वर्ष से सम्बन्धित जमाधनराशि के सीमा के अर्न्तगत ही प्रदान की जायेगी।

4. उक्त धनराशि से पहले सबसे पुराने दावों का भुगतान नियमानुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

5. स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के अनुदान संख्या-25 के लेखा शीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय-00-आयोजनेत्तर-01-खाद्य-101-खरीद और पूर्ति-03-अन्न पूर्ति योजना-31-सामग्री और सम्पूर्ति के नामे डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या- 1965/वि0अनु0-3/2002, दिनांक 05 दिसम्बर, 2002 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(विजेन्द्र पाल)
सचिव

संख्या:-3360/खाद्य/बजट/2002, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उत्तरांचल, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, देहरादून/नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल ।
5. निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तरांचल देहरादून।
6. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमाँऊ सम्भाग।
7. अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तरांचल।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर।
9. सम्भागीय लेखाधिकारी, खाद्य गढ़वाल/कुमाँऊ सम्भाग, देहरादून/हल्द्वानी।
10. वित्त अनुभाग-3 उत्तरांचल शासन।
11. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव